

अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का न्यायालय

आर0ई0आर केश सं0- 180/16-17

श्री प्रसाद माल बनाम् पुशा पंडित

:-आदेश:-

09.07.2024

प्रस्तुत वाद आवेदक श्री प्रसाद माल, पे0-स्व0 मदन माल, सा0-तेतरिया, थाना-ललमटिया, जिला-गोड्डा द्वारा दाखिल आवेदन, जो मौजा-तेतरिया नं0-31, जमाबंदी नं0-10 के दाग नं0-108 के अंदर रकवा-00-03-00 धूर भूमि से विपक्षी पुशा पंडित, पे0-फुलचंद पंडित, सा0-तेतरिया, थाना-ललमटिया, जिला-गोड्डा को उच्छेद करते हुए दखल दिलाने का किये गये अनुरोध के आलोक में वाद का प्रक्रिया प्रारंभ किया है। तदनुसार अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा उभय पक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष उपस्थित हुए तथा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारणपृच्छा दाखिल किया।

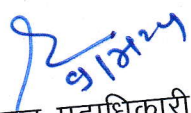
उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

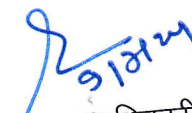
अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक-768/रा0 दिनांक-20.10.2023 द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक मौजा- तेतरिया नं0-31, जमाबंदी नं0-10 के दाग नं0-108 के अंदर रकवा-02-08-08 धूर भूमि किस्म बाड़ी ओवल जमाबंदी रैयत डोमन माल वो पचुवा माल पेशरान गोहर माल कौम माल साकिन देह के नाम से गत सर्वे खतियान में अंकित है। स्थल जाँच के क्रम में ग्रामीणों/संबंधित रैयतो द्वारा आवेदक का संबंध निम्न प्रकार बताया गया है, जमाबंदी रैयत डोमन माल का एक पुत्र मदन माल, जिनके तीन पुत्र क्रमशः (1)श्री प्रसाद माल (2) मनोज माल (3)कुन्दन माल है। आवेदक जमाबंदी रैयत का वंशज है। स्थानीय जाँच के क्रम में पाया कि पुसा पंडित, पे0-स्व0 फुलचंद पंडित, सा0-कुसबिला, पो0-भदरिया, थाना-राजाभीठा, जिला-गोड्डा में जमाबंदी नं0-19, कुल रकवा-02-14-07 धूर भूमि जमाबंदी रैयत गांगु पंडित का वंशज है। आवेदक के द्वारा बताया गया कि मेरे हिस्से में लगभग 00-02-17 धूर भूमि पड़ता है, जिसके अंदर कच्चा मिट्टी का एक मकान था जो वर्तमान में गिर गया है। पुसा पंडित

वर्तमान में मौजा-तेतरिया में उपरोक्त दाग नं0 के अंदर दो पक्का रूम, दो रूम खपरैल एवं बरामदा बनाकर लगभग 20-25 वर्षों से सपरिवार अवास कर रहे हैं। शेष भूमि पर आवेदक एवं अन्य फरिक्न का मकान-सह-बाड़ी है बादगत भूमि अहस्तांतरणीय प्रकृति की है और विपक्षी खतियानी रैयत का वंशज नहीं है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि प्रासंगिक भूमि अहस्तांतरणीय प्रकृति की है और विपक्षी खतियानी रैयत का वंशज नहीं है। अतः संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत विपक्षी को प्रासंगिक भूमि से उच्छेद किया जाता है। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेश कीप्रति अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

ज. 3. 8. 8. 16/17
म. 18/24

Seen by
Subordinate
18/24